रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 679] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 754(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और यह फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ।

और, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और भोपाल गैस पीड़ितों के उचित विधिक प्रतिनिधित्व और उनके दावों के परिनिर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए उसके अधीन एक स्कीम का प्रशासन कर रहा है । इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1985 में कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित का सृजन किया गया था और भारत सरकार द्वारा शीघ्र न्यायनिर्णयन और गैस विभीषिका के उत्तरजीवियों और पीड़ित परिवारों के लिए प्रतिकर का अधिनिर्णय या संवितरण करने हेतु वर्ष 1992 से भोपाल गैस पीड़ितों के दावों के न्यायनिर्णयन के लिए दावे अधिकरण द्वारा वास्तविक रूप से काम करना आरंभ किया । कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित द्वारा "भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि" नामक स्कीम के अधीन मृत्यु, स्थायी रूप से दिव्यांगता, अति गंभीर चोट, कैंसर, पूर्ण किडनी फेल होने और गैस पीड़ितों की अस्थायी दिव्यांगता प्रवर्गों को प्रतिकार का संदाय किया जाता है ।

और, स्कीम के अधीन अलग-अलग प्राप्तिकर्ताओं को दी गई नकद प्रतिकर की पूर्वोक्त प्रसुविधा भारत सरकार की संचित निधि से एकमुश्त व्यय है और,

अत: अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए किसी पात्र व्यक्ति आधार संख्याक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी ।

(2) स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किंतु स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक हैं 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वह आधार प्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से, अपने कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन प्रसुविधाएं प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा होगी तथा यदि उनके अलग ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधन विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी ।

परन्तु स्कीम के व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है तो उसकी अपना आधार नामांकन पहचान पर्ची, या;

(ii) नीचे के पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्याक कार्ड (पैन कार्ड); या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया चलन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसील द्वारा शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो के पहचान प्रमाणपत्र; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद मुआवजे का सुविधाजनक और बिना किसी बाधा के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम को कार्यान्वित करने वाले विभाग के प्रभारी निम्नलिखित सहित अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेंगे; अर्थात् :-

(1) स्कीम अधीन आधार के अपेक्षा के प्रति नकद प्रतिकर के फायदाग्राहियों को जागरुक बनाने के लिए उन्हें, रासयन और पेट्रोरसायन विभाग कार्यालय के माध्यम से और उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से, मीडिया द्वारा और व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर के फायदाग्राही ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में आधार नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो उन्हें रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से यह अपेक्षित होगा है कि वह यूआईडीएआई या यूआईडएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वंय यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और स्कीम के अधीन फायदाग्राही रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के पास उसकी कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परत्युक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करा सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फ़. सं. बीएच 11011/1/2016-बीएच]

समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Pertrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 754(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India is administering the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 and a Scheme thereunder for ensuring proper legal representation of the Bhopal Gas victims and settlement of their claims. Under this Act, the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas victims was created in 1985 and the Claim Tribunals to adjudicate claims of the Bhopal Gas Victims actually started functioning from the year 1992 by the Government of India for speedy adjudication and award or disbursement of compensation to the survivors and families of the victims of the gas leak disaster. Under the scheme called "Ex-gratia to Bhopal Gas victims", the compensation is paid to Death, Permanent disability, Injury of utmost severity, Cancer, Total Renal Failure and Temporary disability categories of gas victims by the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims.

And whereas, the aforesaid benefit of cash compensation given to the individual recipients under the scheme is one-time expenditure from the Consolidated Fund of India and;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the benefit of cash compensation under the scheme is, hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit of cash compensation under the scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits of cash compensation under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the scheme through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal may provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual of the Scheme, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit of cash compensation under the Scheme to the beneficiaries, the Department in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including following, namely: -

(1) Wide publicity through media and individual notices through the office of the Department of Chemicals and Petrochemicals and through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal shall be given to beneficiaries of cash compensation under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of cash compensation under the scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries under the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 above with the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the states of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. BH.11011/1/2016-BH]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.07 14:32:10 +05'30'